मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०२३

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२३

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा १० का संशोधन.

३. धारा १६ का संशोधन.

४. धारा १७ का संशोधन.

५. धारा २३ का संशोधन.

६. धारा ३० का संशोधन.

७. धारा ३७ का संशोधन.

८. धारा ३९ का संशोधन.

९. धारा ४४ का संशोधन.

१०. धारा ५२ का संशोधन.

११. धारा ५४ का संशोधन.

१२. धारा ५६ का संशोधन.

१३. धारा ६२ का संशोधन.

१४. धारा १०९ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

१५. धारा ११० का लोप.

१६. धारा ११४ का लोप.

१७. धारा ११७ का संशोधन.

१८. धारा ११८ का संशोधन.

१९. धारा ११९ का संशोधन.

२०. धारा १२२ का संशोधन.

२१. धारा १३२ का संशोधन.

२२. धारा १३८ का संशोधन.

२३. नई धारा १५८ ए का अंत:स्थापन.

२४. अनुसूची-तीन का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०२३

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ है.

(२) यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

धारा १० का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १० में,—

(क) उप-धारा (२) में, खण्ड (घ) में, शब्द ''माल या'' का लोप किया जाए;

(ख) उप-धारा (२क) में, खण्ड (ग) में, शब्द ''माल या'' का लोप किया जाए.

धारा १६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १६ में उप-धारा (२) में,—

(एक) दूसरे परन्तुक में, शब्द ''उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा'' के स्थान पर, शब्द और अंक, ''धारा ५० के अधीन देय ब्याज के साथ, उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा'' स्थापित किया जाए;

(दो) तीसरे परन्तुक में, शब्द ''उसके द्वारा'' के पश्चात्, शब्द ''प्रदायकर्ता को'' जोड़े जाए.

धारा १७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(क) उप-धारा (३) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण.**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''छूट-प्राप्त प्रदाय के मूल्य'' में अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट कार्यकलाप या संव्यवहार का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय,—

(एक) उक्त अनुसूची के पैरा ५ में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप या संव्यवहार का मूल्य; और

(दो) उक्त अनुसूची के पैरा ८ के खण्ड (क) के संबंध में विहित क्रियाकलाप या संव्यवहार का मूल्य.'';

(ख) उप-धारा (५) में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(चक) एक कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा १३५ में निर्दिष्ट कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसके दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशायित हैं;".

धारा २३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २३ में, उप-धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जाए और १ जुलाई, २०१७ से स्थापित की गई समझी जाए, अर्थात्:—

"(२) धारा २२ की उप-धारा (१) या धारा २४ में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें निर्दिष्ट किए जाएं, उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट कर सकती हैं जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है.".

धारा ३० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उप-धारा (१) में,—

(क) शब्द "रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से", के स्थान पर, शब्द "ऐसी रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, स्थापित किए जाएं.

(ख) परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा ३७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(५) एक पंजीकृत व्यक्ति को उप-धारा (१) के अधीन किसी कर अवधि के लिए, उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जावक पूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उप-धारा (१) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी एक कर अवधि के लिए जावकपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी.".

धारा ३९ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उप-धारा (१०) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोडी जाए, अर्थात्:—

"(११) एक पंजीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरण प्रस्तुत करने की उक्त देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् भी एक कर अवधि के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है.".

धारा ४४ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४४ को उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(२) एक पंजीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (१) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (१) के अंतर्गत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी.".

धारा ५२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उप-धारा (१४) के पश्चात्, निम्मलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(१५) प्रचालक को उप-धारा (४) के अधीन एक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमदि नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाए एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उप-धारा (४) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी.".

धारा ५४ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, उप-धारा (६) में शब्द "जिसके अंतर्गत अंतिमत: स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," का लोप किया जाए.

धारा ५६ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, शब्द "उक्त धारा के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक", के स्थान पर शब्द "इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा विहित किया जाये, के अनुसार गणना की जाकर" स्थापित किए जाएं.

धारा ६२ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ६२ में, उप-धारा (२) में,—

(क) शब्द "तीस दिन" के स्थान पर, शब्द "साठ दिन" स्थापित किए जाएं.

(ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि जहां पंजीकृत व्यक्ति उप-धारा (१) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीली से साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश की तामीली के साठ दिनों की एक और अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है. यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा ४७ के अधीन विलंब शुल्क का भुगतान करने के दायित्वाधीन रहेगा.".

धारा १०९ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

१४. मूल अधिनियम की धारा १०९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन.

''१०९. इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा.''.

धारा ११० का लोप.

१५. मूल अधिनियम की धारा ११० का लोप किया जाए.

धारा ११४ का लोप.

१६. मूल अधिनियम की धारा ११४ का लोप किया जाए.

धारा ११७ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ११७ में,—

(क) उप-धारा (१) में, शब्द ''राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य पीठ'' स्थापित किए जाएं;

(ख) उप-धारा (५) में, खण्ड (क) और (ख) में, शब्द ''राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य पीठ'' स्थापित किए जाएं.

धारा ११८ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ११८ में, उप-धारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) अपील अधिकरण की प्रमुख पीठ द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध; या''.

धारा ११९ का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ११९ में,—

(क) शब्द ''राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर, शब्द ''प्रमुख पीठ'' स्थापित किए जाएं;

(ख) शब्द ''राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य पीठ'' स्थापित किए जाएं.

धारा १२२ का संशोधन.

२०. मूल अधिनियम की धारा १२२ में, उप-धारा (१क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो,—

(क) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं हैं; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी भी जावकपूर्ति का, धारा ५२ की उप-धारा (४) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह

दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी आपूर्ति धारा १० के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हों, में सम्मिलित कर की राशि के बराबर राशि, दोनों में जो भी अधिक हो का भुगतान करने के लिए दायी होगा.''.

धारा १३२ का संशोधन.

२१. मूल अधिनियम की धारा १३२ में, उप-धारा (१) में,—

(क) खण्ड (छ), (ज) और (ट) का लोप किया जाए;

(ख) उपखण्ड (ठ) में, (एक) शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खण्ड (क) से (ट)'', के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खण्ड (क) से (च) और खण्ड (ज) और (झ)'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपखण्ड (तीन) में, शब्द ''जहां'' के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अपराध में'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपखण्ड (चार) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''या खण्ड (छ) या खण्ड (ज)'' का लोप किया जाए.

धारा १३८ का संशोधन.

२२. मूल अधिनियम की धारा १३८ में,—

(क) उप-धारा (१) में, पहले परंतुक में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) एक व्यक्ति जिसे धारा १३२ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था;'';

(दो) खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

(तीन) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ग) व्यक्ति जो धारा १३२ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध कारित करने का अभियुक्त है;

(चार) खण्ड (ङ) का लोप किया जाए;

(ख) उप-धारा (२) में, शब्द ''दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने'', के स्थान पर, ''शब्द अंतर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने'' स्थापित किए जाएं.

नई धारा १५८ए का अंत:स्थापन.

२३. मूल अधिनियम की धारा १५८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सहमति आधारित साझा करना.

"१५८ए (१) धारा १३३, १५२ और १५८ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की सिफ़ारिशों और उप-धारा (२) के उपबंधों के अधीन एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, साझा किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) धारा २५ के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन में या धारा ३९ या धारा ४४ के अधीन दाखिल विवरणी में प्रस्तुत विवरण;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण, धारा ३७ के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्ति का विवरण और धारा ६८ के अधीन दस्तावेजों के निर्माण के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जाएं.

(२) उप-धारा (१) के अधीन विवरण साझा करने के प्रयोजनों के लिए, सहमति प्राप्त की जाएगी,—

(क) उप-धारा (१) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत विवरण के संबंध में पूर्तिकार की; और

(ख) उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तुत विवरण और उप-धारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन जहां इस तरह के विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान की जानकारी शामिल है के संबंध में, प्राप्तकर्ता की—

ऐसे प्रपत्र और रीति में सहमति प्राप्त की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.

(३) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और प्रासंगिक पूर्ति पर या संबंधित विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.".

अनुसूची-तीन में संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की अनुसूची-तीन में, पैराग्राफ ७ और ८ और उसके स्पष्टीकरण २ (२०१९ के अधिनियम २ की धारा ३८ द्वारा जोड़े गए के अनुसार) को जुलाई, २०१७ के पहले दिन से वहां जोड़ा गया माना जाएगा.

(२) एकत्र किए गए सभी करों का, जो इस तरह एकत्र नहीं किया गया होता, यदि उप-धारा (१) सभी भौतिक समयों पर लागू होती, कोई रिफंड नहीं किया जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

करदाताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीयन, पंजीयन का प्रतिसंहरण, जीएसटीआर १ फाइलिंग, जीएसटीआर ३बी फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेना, डीसीएस वापसी, विलंब से वापसी पर ब्याज, फाइन न करने वालों का निर्धारण, शास्ति अभियोजन, अभियोजन के विरूद्ध प्रशमन से संबंधित उपबंधों तथा अनुसूची-३ को संशोधित किए जाने की अत्यावश्यकता है.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के संशोधन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

(एक) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल प्रदाय करने पर भी कंपोजिशन की सुविधा प्रदान करना.

(दो) आईटीसी से संबंधित उपबंधों को संशोधित करना.

(तीन) सीएसआर से संबंधित गतिविधियों पर आईटीसी प्रतिबंधित करना.

(चार) पंजीयन तथा प्रतिसंहरण से संबंधित उपबंधों को संशोधित करना.

(पाँच) उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की नियम तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जीएसटीआर १, जीएसटीआर ३बी, जीएसटीआर ८ तथा जीएसटीआर ९ की फाइलिंग को प्रतिबंधित करना.

(छह) वापसी / दाय से संबंधित उपबंधों को संशोधित करना.

(सात) विलंब वापसी पर ब्याज की गणना से करदाताओं के कारण होने वाली विलंब अवधि को हटाना.

(आठ) फाइलन करने वालों का निर्धारण के ६० दिवस के भीतर और अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ १२० दिवस के भीतर यदि जीएसटीआर ३बी फाइल किया जाता है तो आदेश को वापस लेकर करदाता को सुविधा देना.

(नौ) राष्ट्रीय अपील अधिकरण से संबंधित उपबंधों को संशोधित करना.

(दस) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालन पर शास्ति के लिए उप-खण्ड अंत:स्थापित कर, शास्ति से संबंधित उपबंधों को संशोधित करना.

(ग्यारह) अभियोजन से संबंधित उपबंधों को अपराध मुक्त करना.

(बारह) अभियोजन के विरूद्ध प्रशमन (कम्पोजीशन) की राशि को कम कर करदाताओं को सुविधा देना.

(तेरह) अन्य व्यवस्थाओं के साथ जानकारी साझा करने के लिए धारा १५८ को अंत:स्थापित करना.

(चौदह) सूची ३ के पैरा ७ और पैरा ८ को भूतलक्षी प्रभाव देना.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ९ जुलाई, २०२३.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों में प्रत्यायोजन संबंधी स्थापनाएं हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड क्रमांक १ अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को विभिन्न तारीखों में अधिसूचित किए जाने;

खण्ड क्रमांक ४(क)—अनुसूची-तीन के पैरा ८ के खण्ड (क) के संबंध में आने वाली गतिविधियों तथा संव्यवहारों का निर्धारण किये जाने;

खण्ड क्रमांक ५ धारा २३ के अंतर्गत अधिसूचना के माध्यम से कतिपय करदाताओं को पंजीयन की अनिर्वायता से छूट प्रदान किये जाने;

खण्ड क्रमांक ६—पंजीयन निरस्तीकरण के पश्चात् रिवोकेशन के आवेदन की प्रक्रिया तथा समय-सीमा विहित किये जाने;

खण्ड क्रमांक —७ किसी कर अवधि के लिये जीएसटीआर-१ प्रस्तुत करने की देय तिथि के ३ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उक्त विवरणियां प्रस्तुत किये जाने;

खण्ड क्रमांक ८—किसी कर अवधि के लिये जीएसटीआर-३ बी प्रस्तुत करने की देय तिथि से ३ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उक्त विवरणियां प्रस्तुत किये जाने;

खण्ड क्रमांक ९—किसी कर अवधि के लिये जीएसटीआर-९ प्रस्तुत करने की देय तिथि के ३ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उक्त विवरणियां प्रस्तुत किये जाने;

खण्ड क्रमांक १०—किसी कर अवधि के लिये जीएसटीआर-८ प्रस्तुत करने की देय तिथि के ३ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उक्त विवरणियां प्रस्तुत किये जाने;

खण्ड क्रमांक १२—करदाता द्वारा किये गये विलंब के कारण वापसी में हुए विलंब के समय को ब्याज की गणना में से हटाये जाने संबंधी प्रक्रिया तथा शर्तों का निर्धारण किये जाने; तथा

खण्ड क्रमांक २३—पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणों तथा अन्य जानकारियों को साझा करने के लिये प्रणालियों को अधिसूचित किये जाने, करदाता से संबंधित अन्य जानकारी का निर्धारण, जानकारी की शैयरिंग हेतु करदाता से सहमति लिये जाने के लिए प्रारूप तथा प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) से उद्धरण.

* * * *

धारा १० (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा;

(२) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा १ के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,–

(क) उपधारा (१) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;

(ख) वह ऐसे किसी माल या सेवा का प्रदाय करने में नहीं लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन कर से उदग्रहणीय नहीं है;

(ग) वह माल या सेवा के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा ५२ के अधीन स्त्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल या सेवा का प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए; और

(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्तिः

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का. (आय–कर अधिनियम, १९६१) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन तब तक स्कीम के लिये विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस धारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं.

"(२क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परन्तु धारा ६ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (१) और उपधारा (२) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष के सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन संदेय कर के अधीन, विहित की जाने वाली ऐसी दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह, –

(क) मालों या सेवाओं के किसी प्रदाय करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसे प्रदाय में नहीं लगा है, जिससे धारा ५२ के अधीन स्त्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है;

* * * *

धारा १६ (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा ४६ में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी.

(२) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,–

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो;

(कक) आपूर्तिकर्ता द्वारा खण्ड (क) में निर्दिष्ट इनवॉइस या डेबिट नोट का विवरण आउटवर्ड आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया है और ऐसे विवरण ऐसे इनवॉइस या डेबिट नोट के प्राप्तकर्ता को धारा ३७ के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में, सूचित किए गए हैं.

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है.

(खक) धारा ३८ के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्वधित नहीं किए गए हों;

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त कर लिया है,–

(एक) जहां माल, किसी प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर परिदान किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(दो) जहां सेवाएं, किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश और उसकी ओर से प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती हो.

(ग) धारा ४१ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए; और

(घ) वह धारा ३६ के अधीन विवरणी न दे दे :

परन्तु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किस्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,

उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा.

(३) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय–कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट संबंधित है, अंत के अगले ३० नवंबर के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा.

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, २०१८ के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष २०१७–१८ के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामें नोट से संबंधित किसी बीजक के संबंध में मार्च मास, २०१९ के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, २०१९ के लिए उक्त धारा की उपधारा (१) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं.

धारा १७ (१) – जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ..... निर्बंधित किया जाएगा.

(२) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ..... निर्बंधित किया जाएगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन छूट प्राप्त कर प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहरों, भूमि विकय और अनुसूची २ के पैरा ५ के खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा.

स्पष्टीकरण,– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "छूट–प्राप्त प्रदाय के मूल्य" में उक्त अनुसूची के पैरा ५ में विनिर्दिष्ट के सिवाय, अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट कार्यकलाप या संव्यवहार का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा";

(४) किसी बैंककारी कंपनी..... लागू नहीं होगा,

(५) धारा १६ की उप–धारा (१) और धारा १८ की उप–धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:–

(क) तेरह से अनधिक व्यक्तियों (चालक सहित) की बैठने की अनुमोदित क्षमता के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय प्रदाय करने के लिए किया जाता हो, अर्थात्:–

(अ) ऐसे मोटरयानों की आगे और प्रदाय; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे मोटरयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग –

(एक) निम्नलिखित कराधेय प्रदाय के लिए किया जा रहा हो, अर्थात् :–

(अ) ऐसे जलयान या वायुयान की आगे और प्रदाय; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे जलयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(दो) माल के परिवहन के लिए;

(कख) साधारण बीमा सेवाएं, सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां तक उनका संबंध खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से हैं:

परन्तु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा–

(एक) जहां खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(दो) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो–

(एक) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(दो) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में सामान्य बीमा सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनों का निम्नलिखित प्रदाय–

(एक) खण्ड और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान को लीज, भाड़े या भटक पर देने के सिवाय जब कि उनका उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमाः

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा जहां ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदाय का उपयोग किसी रजिस्ट्रंकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित प्रदाय के तत्व के रूप में किया जाता हैं;

(दो) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता; और

(तीन) कर्मचारियों को अवकाश के दौरान प्रदात यात्रा लाभ जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायतः

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो''.

(ग) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनका प्रदाय स्थावर संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और प्रदाय के लिए कोई आवक सेवा है;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र या मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिये किया जाता है.

स्पष्टीकरण– खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है;

(ड़) माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा १० के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल ;

(झ) धारा ७४, १२६ और १३० के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर.

धारा २३ (१) – निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात्: –

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है;

(ख) कृषक, भूमि की खेती की उपज की पूर्ति के विस्तार तक.

(२) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है.

धारा ३० (१) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रदद्करण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसी कालावधि दर्शाए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और कारण लेखबद्ध कर बढ़ाई जा सकेगी,–

(क) संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए;

(ख) अतिरिक्त आयुक्त द्वारा, विशेष आयुक्त द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि से अधिक, तीस दिन से अनधिक की और कालावधि के लिए".

धारा ३७ (१) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रानिक रूप में और ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की, की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती १०वें दिन से पूर्व या को देगा और ऐसे ब्यौरे ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी

रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएं :

परन्तु आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

परन्तु यह और कि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास, २०१८ के लिए धारा ३६ के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च मास, २०१६ या जनवरी, २०१६ से मार्च, २०१६ के लिए उपधारा (१) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा.

(२) .....

(३) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (१) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और, उसमें किसी त्रुटि या लोक का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात ३० नवम्बर या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् जो भी पूर्वतर है, उपधारा (१) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(४) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (१) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (१) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं.

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "जावक पूर्तियों के ब्यौरे" पद के अंतर्गत किसी कर–अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे सम्मिलित हैं.

धारा ३६ (१) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर तथा संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे.

(२) धारा १० के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा.

(३) धारा ५१ के उपबंधों के अधीन स्त्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, की गई है, की विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप में देगा.

(४) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् १३ दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा.

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलैंडर मास के अंत के पश्चात् तेरह दिन के भीतर या धारा २७ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा.

(६) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय–सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

(७) उपधारा (३) या उपधारा (५) या उसके परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात सरकार को संदत्त करेगा:

परन्तु उप–धारा (१) के परन्तुक के तहत् विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति सरकार को ऐसे रूप और रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाये, भुगतान करेगा,–

(क) एक माह की अवधि के लिये माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्ति, इनपुट टैक्स प्रत्यय, देय कर और ऐसे अन्य विवरणों को ध्यान में रखते हुए कर के बराबर राशि; या

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट राशि के बदले, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों जैसा कि विहित किया जाये के अधीन निर्धारित राशि

परन्तु यह और कि उप–धारा (२) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा.

(८) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं.

(९) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (१) या उपधारा (२) या उपधारा (३) या उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ३० नवम्बर या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वोत्तर हों, के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(१०) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों.

* * * *

धारा ४४ इनपुट सेवा वितरक, धारा ५१ या ५२ के अधीन..... संपरीक्षा के अध्यधीन है.

* * * *

धारा ५२ (१) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''प्रचालक'' कहा गया है). जो अभिकर्ता नहीं है, एक रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके द्वारा अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा की गई कराधेय प्रदायों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जाएगी, जहां ऐसी प्रदायों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है.

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा ९ की उपधारा (५) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न "कराधेय प्रदायों का शुद्ध मूल्य" से मालों या सेवाओं की कराधेय प्रदायों या दोनों, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा आपूर्ति की गई है, से उक्त मास के दौरान प्रदायकर्ताओं द्वारा वापस लौटाई गई कराधेय प्रदायों के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य अभिप्रेत है.

(२) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा.

(४) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी प्रदायों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा मास के दौरान उपधारा (१) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो

विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के पश्चात् इलेक्ट्रोनिक रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा :

परन्तु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेंगे :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, २०१८ मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख **१** फरवरी, २०१९ होगा.

(५) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा की जाने वाली मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी प्रदायों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् ३१ दिसम्बर से पूर्व इलेक्ट्रोनिक रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

(६) यदि कोई प्रचालक उपधारा (४) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई है, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा ५० की उपधारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परन्तु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ३० नवम्बर या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(७) प्रदायकर्ता, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, संगृहित रकम और उपधारा (४) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपनी इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में प्रत्यय का दावा करेगा.

(८) उपधारा (४) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत प्रदायकर्ताओं के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिरर्गामी प्रदायकर्ताओं के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा.

(९) जहां उपधारा (४) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिरर्गामी प्रदायकर्ताओं के ब्यौरें धारा ३७ या धारा ३९ के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते हैं तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी.

(१०) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (६) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको प्रदायकर्ताओं द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिरर्गामी प्रदायों का मूल्य प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिरर्गामी प्रदायों के मूल्य से उस मास के पश्चातवर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी, अधिक है.

(११) संबंधित प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (१०) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा प्रदाय के संबंध में ब्याज सहित कर का संदाय धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की तारीख तक करेगा.

(१२) उपायुक्त के रैंक से अन्यून कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके प्रक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा,–

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों या भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, धृत मालों का स्टाक, जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे प्रदायकर्ताओं ने जिसकी कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा की है,

जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(१३) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधार (१२) के अधीन सूचना की तामील की गईं हैं, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा.

(१४) कोई व्यक्ति, जो उपधार (१२) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा १२२ के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी.

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संबंधित प्रदायकर्ता" पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला प्रदायकर्ता अभिप्रेत है.

* * * *

धारा ५४ कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए आवेदन कर सकेगा :

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ४६ की उपधारा (६) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा.

संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ४६) के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा ५५ के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी प्रदायों के लिएं संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें आपूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से दो वर्ष के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा.

उपधारा (१०) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(एक) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय;

(दो) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदायों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है :

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है :

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है.

(४) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे,–

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा ३३ में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है :

परन्तु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रूपए से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है.

यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा ५७ में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा.

(६) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (५) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा.

धारा ५६ यदि किसी आवेदक को धारा ५४ की उपधारा (५) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है, और उस धारा की उप–धारा (१) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है, तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगाः

परन्तु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणाम स्वरूप पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ६० दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा.

* * * *

धारा ६२ (१) – धारा ७३ एवं धारा ७४ में तत्प्रतिकूल किसी बात के अतःविष्ट होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा ३६ या धारा ४५ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा ४६ के अधीन सूचना की तामील के पश्चात भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात कर के लिए निर्धारण करने के लिये अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिये असंदत्त कर संबंधित है, कि वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिये धारा ४४ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा.

(२) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जायेगा किंतु धारा ४७ के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा.

* * * *

धारा १०६ (१) – इस अध्याय से उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा,

(२) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा १०६ या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी.

धारा ११० – राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा ११० के उपबंधों के अनुसार होगा.

* * * *

धारा ११४ – राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित किया जाएः

परन्तु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा.

* * * *

धारा ११७ (१) – राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइन कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है.

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई ..... समुचित कारण था.

(३) जहां उच्च न्यायालय का समाधान..... ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है.

(४) उच्च न्यायालय इस प्रकार..... जो वह ठीक समझे.

(५) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो,–

(क) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो; या

(ख) उपधारा (३) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो.

धारा ११८ (१) – ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी,–

(क) राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध; या

(ख) किसी मामले में धारा ११७ के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्वतः या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित के द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेशों के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिये उचित मामला है.

(२) सिविल प्रकिया संहिता..... अपील के मामले में होते हैं.

(३) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय.....उच्चतम न्यायालय का आदेश होता है.

धारा ११९ किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, धारा ११३ के उपधारा (१) के अधीन अपील अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों या धारा ११३ की उपधारा (१) के अधीन अपील अधिकरण के राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा ११७ के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय की जाएगी.

* * * *

धारा १२२ (१) – जहां कराधेय व्यक्ति जो, ...संदाय करने के लिए दायी होगा.

(१क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) के खण्ड (एक), (दो), (सात) या (नौ) के अधीन आने वाले संव्यवहार का लाभ प्रतिधारित करता है और जिसके कारण उस समय जब ऐसा संव्यवहार किया गया, कर अपवंचन अथवा उपभोग किए गए कर प्रत्यय के समतुल्य राशि की शास्ति का दायी होगा.

* * * *

धारा १३२ (१) – जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है अथवा कारित करवाता है और उससे उत्पन्न होने वाले लाभों को प्रतिधारित करता है, अर्थात्–

(क) इस अधिनियम या तद्धीन ..... आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन ..... बिल के जारी करना;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक..... को प्राप्त करता है;

(घ) कोई रकम कर ..... असफल होता है;

(ङ) कर अपवंचन, वापसी..... नहीं आता;

(च) इस अधिनियम के अधीन..... प्रस्तुत करता है;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है;

(ज) किसी माल..... रीति में निपटाता है;

(झ) किसी माल को ..... उल्लंघन में है;

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(ट) किसी सूचना का प्रदाय करने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम में या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन प्रदाय के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके द्वारा प्रदाय की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या

(ठ) इस धारा के खण्ड (क) से खण्ड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है, दंडनीय होगा –

(एक) जहां कर अपवंचन..... और जुमाने से;

(दो) जहां कर अपवंचन..... और जुमाने से;

(तीन) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के मामलों में गलत वापसी प्राप्त की गई रकम एक सौ लाख रुपए से अधिक है लेकिन दो सौ लाख रुपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुमाने से;

(चार) खण्ड (च) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुमाने से या दोनों से दंडनीय होगा.

धारा १३८ (१) – इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी–

(क) कोई व्यक्ति जो धारा १३२ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खण्ड (१) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उपधारा के खण्ड (क) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है;

(ख) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के प्रदाय के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १४) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के उपबंधों के अधीन जो खण्ड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया था;

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है;

(ङ) कोई व्यक्ति जो धारा १३२ की उपधारा (१) के खण्ड (छ) या खण्ड (ञ) या खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है; और

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुज्ञात होगा जो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाईयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालता:

परन्तु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुज्ञात होगा.

(२) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम, न्यूनतम रकम दस हजार रुपए या अन्तर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी होगी, जो विहित की जाए.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश विधान सभा.